



Neutral Citation No. -2026:AHC:16977

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3996 वर्ष 2025

अमरावती देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 18 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : वीरेश कुमार गुप्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अनिल कुमार राय, सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. उपजिलाधिकारी, दुधौ, सोनभद्र द्वारा प्रेषित दिनांक 5.1.2026 का निर्देश अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 19 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार राय को सुना गया।

3. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :

“(ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम सलयाडीह, तहसील दुध्दी, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश स्थित तालाब की भीठा पर किए गए अवैध निर्माण को (जो गाटा संख्या 3511 खा/0.2410 हेक्टेयर, 3512/0.0100 हेक्टेयर, 3513 का/0.0450 हेक्टेयर, 3513 खा/0.0250 हेक्टेयर, 3514/0.0200 हेक्टेयर, 3515/0.1150 हेक्टेयर तथा 3518/0.0800 हेक्टेयर में स्थित हैं) निर्धारित अवधि के भीतर हटाएं।

(बी) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 25.11.2025 के प्रार्थना-पत्र का निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय करते हुए ग्राम सलयाडीह, तहसील दुध्दी, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश स्थित तालाब की भीठा पर किए गए अवैध निर्माण को (जो गाटा संख्या 3511 खा/0.2410 हेक्टेयर, 3512/0.0100 हेक्टेयर, 3513 का/0.0450 हेक्टेयर, 3513 खा/0.0250 हेक्टेयर, 3514/0.0200 हेक्टेयर, 3515/0.1150 हेक्टेयर तथा 3518/0.0800 हेक्टेयर में स्थित हैं) हटाएं।”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे विवादित भूखण्ड से निजी प्रतिवादियों का अतिक्रमण हटाने हेतु उपयुक्त कदम उठाएं। उन्होंने यह प्रदर्शित करने हेतु कि विवादित भूखण्ड की प्रविष्टि राजस्व अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिलेखों में बांध/तालाब के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया था, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के अंतर्गत कार्यवाही में उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.2025 भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

5. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी ने निर्देश के आधार पर प्रस्तुत किया कि आदेश दिनांक 25.6.2025 के विरुद्ध दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र लंबित है; अतः आदेश दिनांक 25.6.2025 के विरुद्ध लंबित पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उपरांत प्राधिकारी विधि के अनुसार आवश्यक कदम उठाएंगे।

6. निजी प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार राय ने यह प्रदर्शित करने हेतु कि आदेश दिनांक 25.6.2025 को प्रत्याहृत कर दिया गया है तथा पक्षकारों द्वारा दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के अंतर्गत उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.1.2026 की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आदेश दिनांक 12.1.2026 में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को उक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के अंतर्गत कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के अंतर्गत कार्यवाही वाद संख्या टी202116660200860 के रूप में उपजिलाधिकारी के अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष लंबित है। इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के अंतर्गत उपजिलाधिकारी द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 25.06.2025 को प्रत्याहृत किया जा चुका है।

9. चूँकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के अंतर्गत कार्यवाही उपजिलाधिकारी के समक्ष लंबित है, अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।

10. इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।